टी बोर्ड भारत Tea Board India
14, बी.टी.एम सरनी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता 700001
14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001
www.teaboard.gov.in

संदर्भ सं. 6(29)/एलसी/नीलामी/अपशिष्ट चाय/2024/ दिनांक 22.04.2024

परिपत्र

विषय: नीलामी के माध्यम से 100% अपशिष्ट चाय का विक्रय

अधोहस्ताक्षरी को परिपत्र सं.367 दिनांक 08.03.2024 एवं उसके बाद दिनांक 19.03.2024 को टी बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता में अपर सचिव (रोपण) की अध्यक्षता में उद्योग हितधारकों के साथ उपरोक्त विषय पर आयोजित संवादात्मक बैठक का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। बैठक में हुई चर्चा के अनुसार, 100% अपशिष्ट चाय की नीलामी के समग्र निगरानी के लिए गठित समिति को दिनांक 01.04.2024 के आदेश सं.384 के तहत निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

1. श्रीमती रजनीगंधा सील नस्कर, अनुज्ञापन नियंत्रक, टी बोर्ड
.2 श्री हेमन्त बांगुर, अध्यक्ष, भारतीय चाय संघ (आईटीए)
.3 श्री अजय जालान, सदस्य, चाय संघ भारत (टीएआई)
.4 श्री देवोश्याम बरुआ, अध्यक्ष, असम चाय प्लांटर्स संघ (एटीपीए)
.5 श्री गौतम बेरिया, सचिव, पत्ती क्रय चाय निर्माता संघ असम (एबीएलटीएमं)
.6 श्री मोहित अग्रवाल, निदेशक, भारतीय चाय निर्यातक संघ (आईटीईए)
.7 श्री अरबिंद नायक, मानद सचिव, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया टी ट्रेडर्स एसोसिएशन (एफएआईटीटीए)
.8 श्री गौरव घोष, अध्यक्ष, चाय नीलामीकर्ता संघ (एटीए)

उत्तर पूर्व चाय संघ के अध्यक्ष श्री अजय ढंढारिया ने दिनांक 14.03.2024 से समिति से इस्तीफा दे दिया था।

समिति को 100% अपशिष्ट चाय नीलामी के कार्यान्वयन से संबंधित उपरोक्त बैठक में उठाए गए कुछ मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का अधिकार दिया गया था। तदनुसार, समिति ने एसओपी का मसौदा तैयार किया और बोर्ड को सौंप दिया है। चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के अनुच्छेद 13 के अनुसार और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पत्र सं. के-57023/17/2023-प्लांट–ए दिनांक 19.04.2024 के अनुसार, 100% अपशिष्ट चाय नीलामी को लागू करने के मामले में सभी संबंधित पक्षों द्वारा अनुपालन के लिए एसओपी को परिचालित किया गया है।

अगला पृष्ठ..2

इस परिपत्र की विषय-वस्तु को संबंधित संघों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी सदस्यों के ध्यान में लाया जाए।

यह उपाध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संलग्न: यथेक्त

रजनीगंधा सील नस्कर

(रजनीगंधा सील नस्कर)
अनुज्ञापन नियंत्रक

वितरण:

1.	अपर सचिव (रोपण)	कृपया अवलोकन एवं सूचनार्थ
2.	सभी चाय उत्पादक संघ	अपने सदस्यों के बीच सूचनार्थ एवं परिचालन हेतु
3.	सभी क्रेता संघ	
4.	सभी निर्यातक संघ	
5.	सभी पंजीकृत नीलामी आयोजक	
6.	चाय नीलामीकर्ता संघ (एटीए)	
7.	सभी भांडागार संघ	
8.	सभी लघु चाय उत्पादक संघ	
9.	समिति सदस्यगण	सूचनार्थ
10.	कार्यकारी निदेशक, कुन्नूर एवं गुवाहाटी	
11.	उ.नि.चा.वि.सिलीगुड़ी	
12.	प्रणाली विश्लेषक	बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

1. 100% अपशिष्ट चाय नीलामी में लाने के लिए उनकी आवश्यकताओं और परिवर्तनकाल में उनका सहयोग हेतु विभिन्न संघ तत्काल प्रभाव से उत्पादकों के साथ गहन संपर्क गतिविधियाँ चलाएँगे । 1 **मई** 2024 से 30 **जून** 2024 तक **फैक्ट्री गेट पास तिथि** वाली सभी चायों के लिए नीलामी के माध्यम से 100% अपशिष्ट चाय सुनिश्चित की जाएगी।

2. यदि विक्रेता चाहें तो कुल लॉट दो बार वापस लिए जा सकते हैं और निजी चैनल में बेचे जा सकते हैं।

3. 3 महीने की अवधि के भीतर एक बार नमूनों का परीक्षण मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला पैनल के स्वतंत्र एनएबीएल के माध्यम से किया जाएगा, जो नीलामी भांडागारों से भी नमूने लेंगे। परीक्षण की लागत विक्रेताओं द्वारा वहन की जाएगी। एफएसएसएआई ने विक्रेता को वर्ष में दो बार अपने उत्पाद का परीक्षण करने और परिणाम रिकॉर्ड करने का आदेश दिया है, और पहला परीक्षण इसी लेखावर्ष में होगा। नवीनतम एफएसएसएआई अधिसूचनाओं के अनुसार 59 रसायनों के लिए परीक्षण किए जाएंगे। जिन प्रयोगशालाओं में चाय का परीक्षण किया जा सकता है, वे नीचे उल्लिखित प्रयोगशालाओं (एनएबीएल मान्यता प्राप्त और चाय बोर्ड अनुमोदित) में से किसी एक से हो सकती हैं:

   ए) यूरोफिन्स

   बी) यूरेका एनालिटिकल लैब्स

   सी) इंटरटेक

   डी) टीयूवी एसयूडी

   ई) टी बोर्ड की अपनी प्रयोगशाला/टीलैब

   टी बोर्ड के तत्वावधान में, संबंधित नीलामी आयोजकों द्वारा एआई और एल्गोरिदम का उपयोग करके, उन चिह्नों और प्रयोगशालाओं के यादृच्छिक चयन की प्रक्रिया की जाएगी, जहाँ इसका परीक्षण किया जाना है। ब्रोकर्स, सॉफ्टवेयर बनाने में मदद करेंगे और इस संबंध में नीलामी आयोजकों की सहायता करेंगे।

4. बिक्री की तिथि से पहले कैटलॉग बंद करने का समय 19 दिन से घटाकर 17 दिन किया जाना चाहिए, तथा इसे घटाकर 15 दिन करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए कैच लॉट सिस्टम लाना होगा, जिसका पालन ब्रोकर्स को करना होगा। आवक के दूसरे दिन से ही कैटलॉगिंग शुरू कर देनी चाहिए, ताकि सैंपलिंग तुरंत शुरू हो जाए और पूरी कैटलॉग बंद होने का इंतजार न करना पड़े।

अगला पृष्ठ..2

5. सूची प्राप्त करने के पश्चात प्रयोगशाला को सभी नीलामी भांडागारों का तुरन्त दौरा करना चाहिए तथा प्रत्येक चालान के 200 ग्राम के दो सेट नमूने लेने चाहिए। प्रयोगशाला को नीलामी की तिथि से पहले ही टी बोर्ड, एफएसएसएआई और नीलामी आयोजकों के साथ नमूनों की पूरी सूची के सभी परिणामों की सॉफ्ट कॉपी साझा करनी चाहिए, जो सभी संबंधितों को सूचित करेंगे। नियंत्रण (दूसरे सेट) नमूने को सीलबंद और हस्ताक्षरित करके भांडागार रक्षकों के पास छोड़ दिया जाएगा, जिसका उपयोग विक्रेता आवश्यकता पड़ने पर अपील के लिए कर सकता है।

6. जून से अक्टूबर तक न्यूनतम लॉट साइज 20 पैकेज का होगा। हालांकि, 30 पैकेज से अधिक के लिए विभाजन की अनुमति दी जा सकती है। क्रेता चाहते हैं कि विक्रय ढाई दिन में पूरी हो जाए, इसलिए उचित लॉट साइज अधिसूचित किए जा सकते हैं। इससे नमूनाकरण को युक्तिसंगत बनाने और विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के साथ-साथ नीलामी भी आगामी विक्रय में अपेक्षित बड़ी मात्रा को संभालने में सक्षम हो सकेगी।

7. सिलीगुड़ी 2 को सक्रिय किया जाना चाहिए ताकि 2 विंडो एक ही समय में संचालित हों, एक सीटीसी पत्ती के लिए और एक सीटीसी अपशिष्ट के लिए।

8. सभी पंजीकृत क्रेताओं, पैकर्स और निर्यातकों को निदेश दिया गया है कि वे इस श्रेणी का क्रय केवल नीलामी से ही करें। विक्रेताओं और क्रेताओं दोनों द्वारा किसी भी उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 (चा.वि.नि.आ2003) के तहत अनुज्ञापन रद्द करना भी शामिल है।

नोट: उपरोक्त क्रमांक 6 एवं 7 में उल्लिखित प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन नीलामी पोर्टल में परिवर्तन के तहत क्रियान्वित की जाएगी।